न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 29/2025

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट
निरभाराम कोडेचा, तत0 तहसीलदार, जैसलमेर। हाल–सेवानिवृत।		जिला कलेक्टर, जैसलमेर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 विरूद्व जिला कलक्टर, जैसलमेर के आदेष कमांक प.1(10)(1) कार्मिक/2025/2766 दिनांक 20.05.2025 जिसके द्वारा नियम 17 के तहत् अपीलांट की 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 21 जनवरी, 2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलांट की 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत दिनांक 30.05.2025 को प्रस्तुत की गई है

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जैसलमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. तत्पष्चात उपस्थित अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट के तहसीलदार जैसलमेर के पद पर रहने के दौरान जिला कलक्टर जैसलमेर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 3255 दिनांक 02.08.2023 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न 02 आरोपों से आरोपित किया गयाः—

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आरोप संख्या 01 :—

श्री निरभाराम कोडेचा, तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर इस कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक श्री ललित चारण, पैरोकार राज, जिला कलेक्टर कार्यालय, जैसलमेर का राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा नायब तहसीलदार, उप तहसील, मोहनगढ स्थानान्तरण किये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के अनुमोदन पश्चात प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, जिला कलेक्टर कार्यालय जैसलमेर के द्वारा कार्यमुक्त किया जाना था जबकि आप द्वारा तहसील कार्यालय जैसलमेर से अपने हस्ताक्षरों से नियम विरूद्ध कार्मिक को कार्यमुक्त कर उपतहसील मोहनगढ में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त श्री निरभाराम कोडेचा, तहसीलदार, जैलसमेर का कृत्य द्वारा गैर जिम्मेदारना रवैया, गंभीर लापरवाही, दुराचरण तथा अनुशासनहीनता की परिधि में ठहरता है जो उनका दुराचरण है, जैसा कि आरोप विवरण पत्र में उल्लेखित है।

आरोप संख्या 02 :–

श्री निरभाराम कोडेचा, तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा कार्यालय तहसीलदार, जैसलमेर से आदेश कमांक संस्थापन/2023/149 दिनांक 2.8.2023 जारी कर कार्मिक श्री ललित चारण, पैरोकार राज. जिला कलेक्टर कार्यालय जैसलमेर का राजस्व मण्डल अजमेर. द्वारा नायब तहसीलदार, उप तहसील मोहनगढ स्थानान्तरण किये जाने पर कार्यमुक्त किया गया। उक्त आदेश में लिखा गया कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार कार्यमुक्त किया गया जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा नियम विरूद्ध कार्मिक को कार्यमुक्त करने के निर्देश नहीं दिये गये।

उक्त श्री निरभाराम कोडेचा, तहसीलदार, जैलसमेर का कृत्य द्वारा गैर जिम्मेदारना रवैया, गंभीर लापरवाही, दुराचरण तथा अनुशासनहीनता की परिधि में ठहरता है जो उनका दुराचरण है, जैसा कि आरोप विवरण पत्र में उल्लेखित है।

4. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलांट के द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रतियुत्तर दिनांक 27.03.2025 को प्रस्तुत करते हुयें आरोपित आरोपों को अस्वीकार करते हुए आरोपमुक्त करने का निवेदन किया गया।

5. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि उनकी ओर से प्रस्तुत प्रत्युतर दिनांक 27.3.2025 में यह निवेदन किया था कि राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश कमांक राम/प–2/1/7/रातस/वि0स0चु0/3523 दिनांक 31.7.2023 के द्वारा श्री ललित चारण पैरोकार राज, जिला कलेक्टर कार्यालय जैसलमेर जो नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय नदबई, जिला

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

भरतपुर स्थानान्तरणाधीन से नायब तहसीलदार, उप तहसील, मोहनगढ स्थानान्तरित किया गया था। तत्समय श्री ललित चारण द्वारा अपने पद के कार्य के साथ–साथ नायब तहसीलदार, जैसलमेर का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा था। श्री ललित चारण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2023 के द्वारा निवेदन किये जाने पर कि उन्हें उप तहसील मोहनगढ में शीघ्र ज्वाईन करावें। विधानसभा आम चुनाव के कारण इन्हें तहसील कार्यालय जैसलमेर के आदेश संख्या 149 दिनांक 2.8.2023 के द्वारा इस कार्यालय से सीधे ही इन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय जैसलमेर से कार्यमुक्त नहीं किया गया है, बल्कि नये पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित ही किया गया हैं

6. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि आरोप संख्या 2 के सम्बन्ध में अपने प्रत्युतर में यह भी अंकित किया था कि श्री ललित चारण, तत्समय अपने पद के कार्य के साथ–साथ नायब तहसीलदार जैसलमेर के कार्य भी सम्पादित कर रहे थे, तहसील कार्यालय जैसलमेर के आदेश संख्या 149 दिनांक 2.8.2023 में यह अंकित नही किया गया है कि श्रीमान के निर्देशानुसार इन्हें कार्यमुक्त किया जाता है। श्रीमान जिला कलेक्टर, जैसलमेर के आदेश संख्या कार्मिक/2023/3247 दिनांक 2.8.2023 के द्वारा तहसील कार्यालय जैसलमेर के आदेश संख्या 149 दिनांक 2.8.2023 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त भी कर दिया गया है। उक्त कार्यमुक्ति आदेश जारी करने में अपीलान्ट के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है और ना ही जानबुझकर उक्त आदेश जारी किये गये है। अतः उक्त प्रतिउत्तर पेश करते हुए जारी आरोपो को ड्राप करने का निवेदन किया था। उसके उपरान्त भी उक्त प्रतियुत्तर को कन्सीडर न करते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2025 के द्वारा अपीलान्ट की 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि आरोप पत्र में वर्णित तहसीलदार, जैसलमेर के आदेश कमांक 149 दिनांक 2.8.2023 को श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर ने अपने आदेश कमांक 3247 दिनांक 2.8.2023 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त भी कर दिया गया था तो ऐसे में अपीलान्ट की ओर से जारी आदेश स्वतः ही अमान्य/प्रभावहीन हो गया था। अपीलान्ट के द्वारा श्री चारण को कार्यमुक्त करने में किसी प्रकार से व्यक्तिगत लापरवाही नहीं बरती गई और न ही जानबूझकर ऐसा आदेश जारी किया गया था। अपीलान्ट के समक्ष श्री चारण, ना0 तहसीलदार के द्वारा कार्यमुक्त किये जाने के कथन किये जाने पर ही श्री चारण को आगामी पद पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया था।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

8. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि श्री मान जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट के प्रत्युतर दिनांक 27.3.2025 में बताये गये तथ्यों को कन्सीडर ही नहीं किया गया और न ही अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने का तथा व्यक्तिगत सुनवाई किये जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था जो कि प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश पूर्णरूप से एकपक्षीय पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अगर अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है तो अपीलान्ट ठोस तरीके से अपना पक्ष रख सकता था, मगर प्रतिउत्तर पेश करने के 50 दिवस के पश्चात आनन–फानन में वेतनवृद्धि रोके जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2025 को पारित कर दिये गये है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट के प्रकरण में जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट को बगैर किसी जॉच, गवाहों के बयान, साक्ष्य के अभाव में दोषी मान लिया गया। राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश कमांक 3523 दिनांक 31.7.2023 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि विधानसभा आम चुनाव, 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग एंव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर के पत्रांक 1010 दिनांक 2.6.2023 व कमांक 1050 दिनांक 26.7.2023 की पालना में उक्त स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे। श्री ललित चारण, ना0 तहसीलदार के द्वारा अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर को दिनांक 2.8.2023 को एवं तहसीलदार जैसलमेर को भी दिनांक 2.8.2023 को प्रार्थना पत्र (संलग्न परिशिष्ठ एफ व जी) प्रस्तुत कर निवेदन किया गय था कि ना0 तहसीलदार, पैरोकार राज के पद से कार्यमुक्त होने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था तथा नोटशीट पत्र ऑफलाईन व ऑनलाईन स्वीकृति अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा दे दी गई है तथा जिला कलेक्टर महोदय ने मौखिक रूप से निर्देशित किया था कि फाईल बाद में एप्रूव हो जायेगी आप ज्वाईन कर लो। अतः मुझे ना0 तहसीलदार, मोहनगढ के पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान करावें।

10. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा श्री चारण के द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्रों पर उच्चाधिकारियों (जिला कलेक्टर महोदय एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय इत्यादि से) से विचार विमर्श करने के उपरान्त तथा विधानसभा चुनाव, 2023 की अति–आवश्यकता को देखते हुए नये पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया है। इसमें कोई बदनियति नहीं थी और ना ही कोई अभिलेख में हेराफेरी व गबन किया गया था। फिर भी प्रकरण में अपीलान्ट को दोषी मानते हुए दीर्घ दण्ड से दण्डित कर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिया गया यानि अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित कर दिया गया।

11. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि आरोप पत्र में यह अंकित किया जाना कि अधोहस्ताक्षरकर्ता (जिला कलेक्टर जैसलमेर) के द्वारा नियम विरूद्ध कार्मिक को कार्यमुक्त करने के निर्देश नहीं दिये गये थे, जबकि अपीलान्ट के द्वारा श्री चारण को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी करने से पूर्व व्यक्तिशः रूप से अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर महोदय से मौखिक निर्देश प्राप्त कर लिये गये थे। (श्री चारण ना0 तहसीलदार के द्वारा नव पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अवलनोकनार्थ प्रस्तुत है।) इसके अतिरिक्त श्री चारण ना0 तहसीलदार पैरोकार राज को नायब तहसीलदार, जैसलमेर के पद का भी चार्ज दिया हुआ था, अपीलान्ट के द्वारा निर्वाचन विभाग एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशों की पालना में ही अपने अधीन कार्यरत श्री चारण को नव पदस्थापन पद पर उपस्थिति दिये जाने हेतु कार्यमुक्त करने के आदेश दिये गये थे। ऐसे में आरोपित आरोप संख्या 02 मिथ्या एवं निराधार प्रतीत होता है।

12. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2025 की तिथी को अपीलान्ट का पदस्थापन जिला कलेक्टर फलौदी के अधीन तहसीलदार, देचू जिला फलौदी के पद पर हो रखा था। राजस्व मण्डल, अजमेर के परिपत्र कमांक प.1/ विविध/वि0जॉ0/राम/85/1737–65 दिनांक 18.05.1985 के अनुसार सीसीए नियमों के तहत विचाराधीन कार्यवाही का अन्तिम आदेश वही जिला कलेक्टर जारी कर सकते है जिनके अधीन कर्मचारी कार्यरत रहता है। ऐसे में अपीलान्ट को दण्डित करने का जो आदेश जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा पारित किया गया है, वह क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

13. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट वर्तमान में राज्य सेवा से दिनांक 31.08.2025 को निवृत हो चुका है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2025 से उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई है जिसके कारण भविष्य में आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा भविष्यगामी परिणाम डालने वाला सिद्ध हो रहा है जिसके कारण भविष्य में अपीलान्ट की होने वाली पदौन्नती की राह में बाधा भी उत्पन्न हो जायेगी। अतः उपरोक्त समय की उत्पन्न हुई परिस्थितियों, पारिवारिक कारणों, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं एवं निकट भविष्य में सेवानिवृति के कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

14. अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट के जवाब को कन्सीडर ही नहीं किया गया, न ही प्रकरण में न्याय किये जाने की मंषा रखी गई, मात्र अपीलान्ट को दण्डित किये जाने की मंशा/दृष्टि ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेष जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यो के आधार पर सहानुभूति रखते हुए तथा अपीलान्ट की सेवानिवृति को देखते हुए अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा जिला कलक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 20.5.2025 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को दोषमुक्त किये जाने के आदेष प्रदान करे तथा अपीलान्ट की असंचयी प्रभाव से रोकी गई 02 वार्षिक वेतनवृद्धि को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

15. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा अपील पर प्रेषित कार्यालय टिप्पणी पत्रांक/राजकाज रेफरेंस नंबर 19255082 दिनांक 09.12.2025 का अवलोकन किया गया। जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी में यह अंकित किया गया है कि जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने पारित अपीलाधीन आदेश कमांक प.1 (10) (1) कार्मिक/2025/2766 दिनांक 20.05.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट को दो आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, के विरूद्ध यह अपील की गई है। प्रेषित टिप्पणी में यह भी उल्लेखित किया गया है कि जिला कलेक्टर, जैसलमेर की ओर से अपीलान्ट के विरूद्ध राज0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 में वर्णित प्रावधानों के तहत ही नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर तथा अपीलान्ट के द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त विधि सम्मत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

16. हमने अपीलान्ट के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट को जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने उनके अपीलाधीन आदेश कमांक प.1 (10) (1) कार्मिक/2025/2766 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा अपीलान्ट की दो आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पर जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा दो आरोप आरोपित किये गये है जिसमें श्री, ललित चारण, नायब तहसीलदार, पैरोकार राज0 जिला कलेक्टर कार्यालय व नायब तहसीलदार, जैसलमेर के पदस्थापित रहने के दौरान राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशो तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर के निर्देशों की पालना में आदेश कमांक राम/प–2/1/7/रातस/सि0स0चु0/2023/3636 दिनांक 31.7.2023 श्री

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

चारण का स्थानान्तरण जिला कलेक्टर कार्यालय जैसलमेर से नायब तहसीलदार, उप तहसील, मोहनगढ जिला जैसलमेर के पद किये जाने पर श्री चारण के द्वारा जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त आदेश के क्रम में नव पदस्थापन पर पर कार्यग्रहण करने हेतु निवेदन किया जाना पाया जाता है।

17. अपीलान्ट (तहसीलदार, जैसलमेर) के द्वारा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के निर्देशानुसार श्री चारण को तहसील कार्यालय जैसलमेर के आदेश कमांक संस्थापन/2023/149 दिनांक 2.8.2023 के द्वारा आगामी उपस्थिति उपतहसील मोहनगढ के पद पर कार्यग्रहण किये जाने के निर्देश गये है। अपीलान्ट के द्वारा श्री चारण को उप तहसील मोहनगढ के पद पर कार्यग्रहण किये जाने के आदेश राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशो तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर जिला कलेक्टर जैसलमेर के निर्देशों की पालना में जारी किया जाना प्रकट होता है।

18. जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट(तहसीलदार, जैसलमेर) के स्तर श्री चारण को कार्यमुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 2.8.2023 को नियम विरूद्ध मानते हुए उक्त आदेश को अपने आदेश कमांक कार्मिक/2023/3247 दिनांक 2.8.2023 को निरस्त कर दिया गया तथा अपीलान्ट को दो आरोपों से आरोपित कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट के स्तर पर तहसील कार्यालय जैसलमेर के जारी आदेश दिनांक 2.8.2023 में श्री चारण ना0 तहसीलदार को किसी भी प्रकार से कार्यमुक्त किये जाने का तथ्य अंकित नहीं किया गया है, मात्र आगामी उपस्थिति उप तहसील मोहनगढ के पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करने के आदेश प्रसारित किये गये है। ऐसे में अपीलान्ट पर आरोपित आरोप कि अपीलान्ट के द्वारा श्री चारण को कार्यमुक्त किये जाने से धारित पद के अधिकारों से परे जाकर पद का दुरूपयोग किया जाना माना नहीं जा सकता है और उक्त कृत्य हेतु उन्हें दोषी मानते हुए 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके का आदेश दे दिया गया है जो कि दीर्घ दण्ड की श्रेणी में आता है।

19. इंसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.08.2023 को उसी दिनांक 02.08.2023 को निरस्त भी कर दिया गया था, तो ऐसे में उक्त आदेश की पालना सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा किया जाना भी पत्रावली पर नहीं है तो ऐसे में यह भी दृष्टिगत नहीं होता है कि अपीलान्ट के द्वारा जारी आदेश की पालना हो गई हो और श्री चारण के द्वारा नव पदस्थापन्न स्थान पर जॉइनिंग कर ली गई थी। इस प्रकार श्री चारण के द्वारा उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं किया जाना प्रतीत होता है। जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दण्डादेश जारी किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को अपना

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्ष रखे जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है जो सीसीए नियमों तथा प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित है। जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलान्ट के प्ररकण में आदेश पारित करने से पूर्व स्थानान्तरित होने वाले अधिकारी श्री चारण के बयान भी पत्रावली पर नहीं लिये गये है जिससे यह तथ्य सामने नहीं आ सके कि श्री चारण के द्वारा अपने को कार्यमुक्त करने हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया था और श्री चारण के निवेदन के अनुसार उच्चाधिकारियों के द्वारा अपीलान्ट को मौखिक निर्देश दिये गये जिस पर श्री चारण को नवीन पद पर कार्यग्रहण करने हेतु अपीलान्ट के द्वारा आदेश दिनांक 2.8.2023 को जारी किया गया है। ऐसे में अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप अपीलान्ट को दण्डित किये जाने तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की मंशा रखते हुए आरोपित किया जाना प्रतीत होता है।

17. अपीलान्ट (तहसीलदार. जैसलमेर) के द्वारा श्री चारण, ना0 तहसीलदार का स्थानान्तरण उप तहसील मोहनगढ हो जाने पर श्री चारण को नव पदस्थापन्न पद पर कार्यग्रहण किये जाने हेतु पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 से किसी प्रकार का गबन किया जाना, बदनियती की जाना, दुराचरण, पक्षपात किया जाना, गंभीर लापरवाही/अनुशासनहीनता बरती जाना प्रकट नहीं होता है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 02.08.2023 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि जिला कलेक्टर, जैसलमेर के निर्देशानुसार श्री चारण को उप तहसील मोहनगढ के पद पर उपस्थिति/ कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें, के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश को जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा उसी दिनांक 2.8.2023 को निरस्त भी कर दिया गया है।

18. इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट को दण्डित किये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2025 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से उसे निरस्त किया जाना व अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

19. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 20.05.2025 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21 जनवरी, 2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर